डी. वेलुसामी

बनाम

डी. पच्चेअमाल

(आपराधिक अपील संख्या 2028-2029 सन् 2010)

21 अक्टूबर, 2010

(मार्कण्डेय काटजू एवं टी.एस. ठाकुर, न्यायमूर्तिगण)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125-भरण-पोषणः

अपीलार्थी से उसकी पत्नि के द्वारा भरण-पोषण की मांग की गई जैसे वह उसकी विधिक तौर पर विवाहिता पत्नि हो-अपीलार्थी ने पत्नि के संबंध को अस्वीकार किया, साथ ही पति ने यह बताया कि उसकी विधिक विवाहिता पत्नि अन्य ''एल'' नामक महिला है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त ''एल'' नामक महिला को नोटिस दिये बिना भरण-पोषण का आदेश दिया और यह माना कि प्रार्थीया, अपीलार्थी की विधिक विवाहिता पत्नि है तथा अपीलार्थी की अन्य पत्नि ''एल'' नहीं है। इस अपील में न्यायालय ने यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्धारित करने में चूक की है कि अपीलार्थी की विवाहिता पत्नि ''एल'' नहीं है और ''एल'' को बिना सुने ऐसा मत व्यक्त किया गया-यह तथ्य कि याची और अपीलार्थी दोनो युक्तियुक्त लम्बे समय तक साथ रहे और वैवाहिक संबंध रखे, यह इस तथ्य को तय

करने के लिये आवश्यक है-इसलिये मामला पुनः पारिवारिक न्यायालय को भेजा जाकर निर्देश है कि वे मामले को नये सिरे से तय करे-पारिवारिक न्यायालय ''एल'' को नोटिस जारी करे और सुनवाई के बाद इस पर अपना मत व्यक्त करे कि अपीलार्थी और याची के बीच विवाह का संबंध है।-घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ)2(एस) वैवाहिक संबंधों की प्रकृतिः सगे भाव से है, यह मत जो विवाह के सामान्य कानून के तहत हो-यह आवश्यक है कि पक्षकारान औपचारिक रूप से विवाहित हो और समाज के लिये विवाहित होने के बारे में सगे भाव से दंपति माने जाते हो, इसके अलावा विवाह के लिये उनकी विधिक आयु पूरी होनी आवश्यक है-अन्यथा तौर पर विधिक विवाह के अंदर प्रवेश के लिये योग्य होनी चाहिये। जहां अविवाहित हो और सहवास के संबंध स्वेच्छिक हो और यह एक महत्वपूर्ण अवधि तक रहा हो-पक्षकारान एक साथ रहकर अपना जीवन गुजार रहे हो, केवल सप्ताह के अंत में घर में एक रात साथ रहना नहीं हो। यह घरेलु संबंध स्थापित करता है। सभी लिव-इन-रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की परिभाषा में विवाह की प्रकृति नहीं मानी जा सकती है-शब्द और वाक्यांश।

व्याख्या-माना गयाः व्याख्या की आड में न्यायालय विधि की भाषा को नहीं बदल सकते और न कानून बना सकते है और न कानून में संशोधन कर सकते है।

प्रार्थी-याची ने धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत अपीलार्थी से भरण-पोषण की मांग करते हुए वर्ष 2001 में याचिका प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी ने यह कहा कि वह अपीलार्थी की वर्ष 1986 से विवाहिता पत्नि है और अपीलार्थी उसके साथ रहता है, जहां प्रार्थीया-पत्नि के पिता के घर पर दो-तीन साल रहा तथा उसके साथ जारता का जीवन व्यतीत किया, उसके बाद पति ने अपने पैतृक निवास पर रहना प्रारंभ कर दिया। अपीलार्थी का यह कहना है कि वह वर्ष 1080 में अन्य महिला ''एल'' के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाहित है और उसके इन वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ है। पारिवारिक न्यायालय ने यह पाया कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ विवाह किया जिसे उच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की।

अपील स्वीकार की गई और मामला पुनः पारिवारिक न्यायालय को विचारण हेतु भेजा गया। अभिनिर्धारित किया गया-

1.1 अर्न्तगत धारा 2(एफ) घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005-घरेलु संबंध में केवल विवाह के रहते संबंध ही शामिल

नहीं रहे है बल्कि विवाह की प्रकृति भी शामिल है तथा अधिनियम में ''विवाह की प्रकृति के संबंध'' अभिव्यक्ति का अर्थ परिभाषित नहीं किया है। 2005 के अधिनियम-संसद ने विवाह के रहते संबंध और विवाह की प्रकृति के रहते संबंध के बीच अंतर किया है और यह प्रावधान किया है कि किसी भी मामले में जो व्यक्ति किसी भी रिश्ते में प्रवेश करता है वह अधिनियम के लाभों को पाने का हकदार होता है। संसद ने भारत में एक नई उभरती हुई सामाजिक घटना पर ध्यान दिया है जो लिव-इन-रिलेशनशिप के रूप में जानी जाती है। यह नया रिश्ता भारत में अभी दुर्लभ है और कभी कभी भारत के बडे शहरों में पाया जाता है लेकिन उत्तरी अमेरिका और यूरोप में यह बहुत आम है।(पैरा 20,21 और 22)(716-जी,एच, 717 ए-डी)

एस.खुशबू बनाम कनैयामल व अन्य(2010)5 एस.सी.सी. 600 संदर्भित

मार्विन बनाम मार्विन(1976)18 सी.3,डी 660, टेलर बनाम फील्डस्(1986)224 कलकत्ता, आर.पी.आर. 186, डेवेनी बनाम एस्पेरेंस 195 एन.जे. 247(2008) संदर्भित।

1.2 विश्व के कुछ देश सामान्य कानूनी विवाह को मान्यता देते है। एक सामान्य कानूनी विवाह, जिसे कभी कभी वास्तविक विवाह या औपचारिक विवाह कहा जाता है, को कुछ देशों में विवाह के रूप में मान्यता दी जाती है हालांकि कोई कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाह

समारोह आयोजित नहीं किया जाता है और न ही विवाह के सिविल अनुबंध में प्रवेश किया जाता है और विवाह का पंजीकरण भी नहीं करवाया जाता है-ऐसा विवाह, विवाह की प्रकृति के संबंध में असामान्य कानूनी विवाह के समान है। सामान्य कानूनी विवाह के लिये आवश्यक है कि औपचारिक रूप से विवाह नहीं होते हुए भी (ए) दंपति को समाज के सामने खुद को जीवनसाथी के समान रखना चाहिये (बी) उनकी शादी करने की उम्र कानूनन पूरी होनी चाहिये (सी) उन्हे अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिये सर्वथा योग्य होना चाहिये और (डी) उन्हे स्वेच्छा से एक साथ रहना होगा और एक महत्वपूर्ण अवधि के लिये जीवनसाथी के समान होने के नाते स्वयं को समाज के सामने रखना होगा। (पैरा 32,33) (719 एफ-एच, 720 ए-डी)

गुगल पर विकिपीडिया में कॉमन लॉ मेरिज का उल्लेख है।

1.3 अधिनियम के तहत ''विवाह की प्रकृति के संबंध को भी उक्त आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और इसके अलावा पक्षकारान को अधिनियम की धारा 2(एस) में परिभाषित साझा घर में एक साथ रहना होगा। केवल सप्ताहांत में एक साथ बिताना या एक रात साथ रहना इसे घरेलु रिश्ता नही बनायेगा।''(पैरा 33)(720 सी-डी)

1.5 2005 के अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के लिये सभी लिव-इन संबंधों को विवाह की प्रकृति का रिश्ता नहीं माना जावेगा। ऐसा लाभ

प्राप्त करने के लिये उपरोक्त शर्तों को पूरा किया जाना चाहिये और इसे साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना चाहिये। यदि किसी पुरूष के पास कोई ''रखरखाव'' है, जिसे वह आर्थिक रूप से रखता है और मुख्य रूप से यौन उद्देश्यों और/या नौकर के रूप में उपयोग करता है तो यह रिश्ता विवाह की प्रकृति का नहीं होगा। यह दृष्टिकोण 2005 के अधिनियम के लाभ से लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाली कई महिलाओं को बाहर कर देगा लेकिन फिर कानून बनाना या कानून में संशोधन करना न्यायालयों का काम नहीं है। संसद ने विवाह की प्रकृति के संबंध में अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है न कि लिव-इन-रिलेशनशिप में अर्थात व्याख्या की आड में न्यायालय विधि की भाषा को नहीं बदल सकता ।(पैरा 34,35,) (720 बी-जी)

2.1 चूंकि ''एल'' को पारिवारिक न्यायालय में या उच्च न्यायालय में हुई कार्यवाही में पक्षकारन नहीं बनाया गया था, उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था इसलिये अपीलार्थी के सामने उसकी वैवाहिक स्थिति की घोषणा पूरी तरह से अमान्य है क्योकि यह विधि के प्राकृतिक नियमों के विपरीत है। ''एल'' को सुनवाई का अवसर दिये बिना, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकती थी कि उसने अपीलकर्ता से शादी नहीं की, इस तरह के निष्कर्ष से उसके अधिकारों पर गंभीर असर होगा । यदि ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकती है तो स्पष्ट रूप से कोई घोषणा वैध रूप से नहीं दी जा सकती है कि अपीलार्थी ने

प्रत्यर्थी से विधिक रूप से विवाह किया था। क्योकि यदि ''एल'' अपीलकर्ता की पत्नि थी तो उससे विवाह विच्छेद किये बिना अपीलार्थी वैध रूप से प्रत्यर्थी से विवाह नहीं कर सकता था। इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी की पत्नि है। धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिये तलाकशुदा पत्नि को पत्नि के रूप में माना जाता है लेकिन यदि किसी व्यक्ति की शादी ही नहीं हुई तो प्रकटतः उसे तलाक नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रत्यर्थी अपीलार्थी की पत्नि होने का दावा तब तक नहीं कर सकती जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जावे कि अपीलकर्ता का विवाह ''एल'' से नहीं हुआ था।(पैरा 11 और 15)(713 ई-ई, 714 एफ-जी)

2.2 उच्च न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश ने ''एल'' को नोटिस जारी किये बिना यह मानने में कानूनी भूल/चूक की है कि अपीलार्थी का विवाह ''एल'' से नहीं हुआ था जिस कारण उक्त निष्कर्ष को रद्द कर दिया गया और मामला पारिवारिक न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया जो ''एल'' को नोटिस जारी कर सकता है और उसे सुनने के पश्चात् विधि-अनुरूप अपना नया निष्कर्ष दे सकता है। यह प्रश्न कि अपीलार्थी का विवाह प्रत्यर्थी से हुआ या नही, उक्त निष्कर्ष के बाद ही दिया जा सकता है।(पैरा 36)(721 बी-डी)

2.3 इस प्रश्न पर पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय में कोई निष्कर्ष नहीं है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ऐसे रिश्ते में काफी लम्बे

समय तक एक साथ रहे जो विवाह की प्रकृति का था तथा प्रस्तुत मामले का निर्णय करने के लिये यह निष्कर्ष आवश्यक था इसलिये उच्च न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया और मामले में विधि के अनुसार और की गई टिप्पणीयों के प्रकाश में नये सिरे से तय करने के लिये पारिवारिक न्यायालय को भेज दिया जाता है।(पैरा 39)(721 डी-ई)

विमला बनाम वीरस्वामी(के)(1991)2 एस सी सी 375, सविताबेन सोमाभट्ट भाटिया बनाम गुजरात राज्य और अन्य ए.आई.आर.2005 एस.सी.1809 को संदर्भित किया-

केस कानून संदर्भः

(1991)2 एस.सी.सी.375	संदर्भ के लिये भेजा	पैरा 13
ए.आई.आर.2005 एस.सी.1809	संदर्भ के लिये भेजा	पैरा 14
2010)5 एस.सी.सी.600	हवाला दिया गया	पैरा 22
(1976)18 सी3 डी660	संदर्भ के लिये भेजा	पैरा 24
(1986) 224 कलकत्ता रिपोर्टर.186	संदर्भ के लिये भेजा	पैरा 26
1995 एन.जे. 247 (2008)	संदर्भ के लिये भेजा	पैरा 27

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या सन् 2010 की 2028-2029

जयंत भूषण, गौतम तालुकदार अपीलार्थी की ओर से।

टी. हरिश कुमार, प्रशांत पी. वी. वासुदेवन प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रत्यर्थी की ओर से बावजुद नोटिस तामील कोई उपस्थित नहीं हुआ। हमने प्रारंभ में ही वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण से मामले में न्यायमित्र के रूप में सहायता करने का अनुरोध किया और हम श्री जयंत भूषण की सराहना करते है जिन्होने हमे काफी सहायता की थी।

3. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2009 से व्यथित होकर प्रस्तुत हुई है।

4. अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी दिनांक 25.6.1980 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार लक्ष्मी नामक महिला के साथ हुई थी और लक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अब ऊँटी में

इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ रहा है। याची कोयंबटूर के थेवंगा हायर सैकेण्ड्री स्कुल में माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत है।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी डी. पच्चेअमल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंर्तगत भरण-पोषण की याचिका प्रस्तुत की जिसमें पारिवारिक न्यायालय कोयंबटूर के समक्ष यह कहा गया कि उसकी शादी दिनांक 14.09.1986 को अपीलार्थी से हुई थी और तब से प्रत्यर्थी और अपीलार्थी दो या तीन साल तक उसके पिता के घर एक साथ रहे। याचिका में यह भी कहा गया है कि दो-तीन साल के बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के पिता का घर छोड दिया और अपने मूल स्थान पर रहने लगा लेकिन कभी कभी प्रत्यर्थी से मिलने आता था।

6. यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी ने (धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत) 1986 में उससे शादी करने के दो या तीन बाद बाद याचिकाकर्ता को छोड दिया, साथ ही याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पत्नि के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है और वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है जबकि अप्रार्थी (यहां अपीलकर्ता) एक माध्यमिक विधालय में शिक्षक है जिसका वेतन 10,000/-रूपये प्रतिमाह है। इसलिये यह प्रार्थना की गई कि अप्रार्थी (यहां अपीलकर्ता) को भरण-पोषण के रूप में 500/-रूपये प्रतिमाह भुगतान करने का निर्देश दिया।

7. उनकी दोनों याचिकाओं, जो धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत हुई, के साथ ही मामले में प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया कि उसकी शादी 14.09.1986 को अपीलार्थी से हुई थी और उसके पति ने घर में उसके साथ रहने के दो या तीन साल बाद उसे छोड दिया।

8. इस प्रकार प्रत्यर्थी का मामला है कि अपीलकर्ता ने उसे 1988 या 1989 में छोड दिया (अर्थात 1986 में कथित विवाह के दो या तीन साल बाद) फिर धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण की याचिका क्यो दायर की गई? वर्ष 2001 में यानि लगभग 12 वर्षो की देरी के बाद भरण-पोषण की याचिका क्यो दायर हुई इस बारे में प्रत्यर्थी द्वारा उचित ढंग से समझाया जाना चाहिये था। यह तथ्य प्रत्यर्थी के मामले बाबत कुछ संदेह पैदा करता है।

9. अपीलार्थी द्वारा पारिवारिक न्यायालय कोयंबटूर के समक्ष दिये गये अपने जबावी शपथपत्र में यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी का विवाह दिनांक 25.06.1980 को हिन्दू विवाह संस्कार से लक्ष्मी से हुआ था और उसके एक पुत्र हुआ जो सी.एस.आई. में ऊँटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ रहा है। लक्ष्मी के साथ अपनी शादी को साबित करने के लिये अपीलार्थी ने अपना राशनकार्ड व मतदाता पहिचानपत्र पेश किया, साथ ही उसके पुत्र का शिक्षांतरण प्रमाणपत्र तथा उसकी पत्नि लक्ष्मी का अस्पताल से जारी डिस्चार्ज प्रमाणपत्र एवं शादी की तस्वीरे आदि पेश की।

10. पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 5.3.2004 में यह माना कि अपीलार्थी का विवाह प्रत्यर्थी से हुआ था न कि लक्ष्मी से। इस निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय से बरकरार/यथावत् रखा गया।

11. इस न्यायालय के मत में चंूकि लक्ष्मी को पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के समक्ष हुई कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था, उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था इसलिये अपीलकर्ता के समक्ष उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में कोई भी घोषणा पूरी तरह से अमान्य और शून्य है क्योकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होगा। लक्ष्मी को सुनवाई का अवसर दिये बिना निचली अदालत द्वारा वैध रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकती थी कि उसने अपीलार्थी से शादी नहीं की थी क्योकि इस तरह की घोषणा से उसके अधिकारों पर गंभीर विपरीत प्रभाव पडेगा और यदि ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकती थी तो स्पष्ट रूप से कोई घोषणा वैध रूप से नहीं दी जा सकती थी कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से वैध रूप से विवाह किया था। यदि लक्ष्मी अपीलार्थी की पत्नि थी तो उससे विवाह विच्छेद किये बिना अपीलार्थी प्रत्यर्थी से वैध रूप से विवाह नहीं कर सकता था।

12. विचारणीय है कि धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंर्तगत पत्नि और कुछ अन्य रिश्तेदारों को भरण-पोषण दिलाये जाने का प्रावधान

है। पत्नि शब्द में ''पत्नि में वह महिला शामिल है जिसे अपने पति ने तलाक दे दिया या जिसने तलाक ले लिया है और दूसरी शादी नहीं की है।''

13. विमला(के) बनाम वीरास्वामी(के) ø(1991) 2 एस.सी.सी. 375} में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशें की पीठ ने माना है कि 1973 की संहिता की धारा 125 एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये है और इसका उदेश्य आवारागर्दी और गरीबी को रोकना है। यह प्रावधान परित्यक्ता पत्नि को भोजन, कपडा और आश्रय की पूर्ति के लिये त्वरित राहत प्रदान करता है जो पति द्वारा दिया जाता है। जब पति द्वारा उपेक्षित पत्नि के दावे को नकारने का प्रयास किया जाता है जिसमें उसे रखा हुआ दर्शाया गया है और यह दलील दी गई कि वह पहले से ही शादीशुदा है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय पहले की शादी के पुख्ता सबूत देखेगा। इस प्रकार भरण-पोषण की याचिका में पत्नि शब्द में वह महिला शामिल है जिसे पति ने तलाक दे दिया है या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया है और दूसरी शादी नहीं की है। जिस महिला के पास पत्नि का विधिक दर्जा नहीं है उसे इस उदेश्य के अनुरूप पत्नि शब्द की समावेशी परिभाषा के अंर्तगत लाया गया है। हालांकि विधि-अनुरूप दूसरी पत्नि, जिसकी दूसरी शादी के जीवित रहने के कारण विवाह शून्य है वह कानूनी रूप से

विवाहित पत्नि नहीं है और इसलिये इस प्रावधान के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

14. सविताबेन सोमा भट्ट भाटिया बनाम गुजरात राज्य व अन्य, ए.आई.आर.2005 एस.सी. 1809 में इस न्यायालय के बाद के निर्णय में इस न्यायालय ने यह माना है कि महिला की दुर्दशा पर ध्यान देना कितना भी वांछनीय क्यो नहीं हो, जो अनजाने मंे प्रवेश करती है, किसी विवाहित पुरूष के साथ विवाह करने पर ''पत्नि'' की अभिव्यक्ति में कानूनी रूप से विवाहित नहीं होने वाली महिला को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है और खण्डपीठ ने कहा कि विधि की इस अपर्याप्तता/अपूर्णता को केवल विधायिका द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।

15. चूंकि हमने यह माना है कि निचली अदालत ने यह मानकर कानून में भूल की है कि लक्ष्मी की शादी अपीलार्थी से नहीं हुई थी और लक्ष्मी को नोटिस जारी नहीं किया गया, उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी की पत्नि है। धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिये विवाह विच्छेदशुदा पत्नि को पत्नि के रूप में माना जाता है लेकिन अगर किसी व्यक्ति का किसी महिला से विवाह ही नहीं हुआ है तो प्रकटतः उस व्यक्ति को तलाक नहीं दिया जा सकता है। इसलिये यहां प्रत्यर्थी अपीलार्थी की

पत्नि होने का तब तक दावा नहीं कर सकती जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि अपीलार्थी का विवाह लक्ष्मी के साथ नहीं हुआ था।

16. हालांकि इस प्रश्न की भी घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के दृष्टिकोण से जांच होनी चाहिये। इस बाबत अधिनियम की धारा 2(ए) में वर्णित किया गया हैः-

2(ए) ''पीडित व्यक्ति'' से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो प्रतिवादी के साथ घरेलु संबंध में है अथवा रही है और जिसने प्रतिवादी द्वारा उसके साथ घरेलु हिंसा किये जाने का आरोप लगाया है।

2(एफ) घरेलु संबंध से तात्पर्य दो ऐसे व्यक्तियों से है जो सगोत्र संबंध, विवाह, गोद लेने या परिवार/संयुक्त परिवार के सदस्य होने अथवा किसी अन्य प्रकृति के रिश्ते से संबंधित होने के कारण किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रह रहे है।

2(एस) इस अधिनियम के तहत ''साझा घर'' से तात्पर्य ऐसे घर से है जहां पीडित व्यक्ति प्रतिवादी के साथ घरेलु रिश्ते में या अकेला रहता है। ऐसा घर चाहे पीडित व्यक्ति के स्वामित्व में हो या संयुक्त रूप से किराये पर हो। इसमें ऐसा घर भी शामिल है जो संयुक्त परिवार से संबंधित हो और प्रतिवादी उस परिवार का एक सदस्य हो।

घारा 3(ए) में यह वर्णित किया गया है कि कोई कृत्य कब घरेलु हिंसा माना जावेगा-

3(ए) ऐसा कृत्य जो किसी के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन अंग या कल्याण को नुकसान पहुंचाता है/घायल करता/खतरे में डालता है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टर(2010)(अतिरिक्त) एस.सी.आर.

पीडित व्यक्ति या ऐसा करने की जो प्रवृति रखता है जिसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक शोषण शामिल है।

17. अभिव्यक्ति ''आर्थिक दुरूपयोग'' को इसमें शामिल करने के लिये परिभाषित किया गया हैः

(ए) पीडित व्यक्ति किसी कानून या प्रथा के तहत जिस आर्थिक या वित्तीय संसाधनों का हकदार है, पीडित व्यक्ति या उसके बच्चों के लिये अदालत के आदेश के तहत देय राशि या अन्य आवश्यकताओं, स्त्रीधन, संपति, साझा घर और रखरखाव से संबंधित राशि से वंचित करना।

18. अधिनियम के तहत एक पीडित व्यक्ति धारा 12(2) में उल्लेखित राहत के लिये धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है और मजिस्ट्रेट धारा 20(1)(डी) के तहत आवेदन का निपटारा करते हुए भरण-पोषण दिला सकता है।

19. धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुसार धारा 20 में उल्लेखित राहत किसी भी कानूनी कार्यवाही में किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय या आपराधिक अदालत के समक्ष मांगी जा सकती है।

20. घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद हम यह बता सकते है कि अभिव्यक्ति ''घरेलु संबंध'' के अन्र्तगत न केवल विवाह का रिश्ता शामिल है बल्कि विवाह की प्रकृति के संबंधष् भी शामिल है। इसलिये सवाल उठता है कि ''प्रकृति के संबंध'' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। अभिव्यक्ति को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। चूंकि इस पर इस न्यायालय का कोई सीधा निर्णय नहीं है। इस अभिव्यक्ति की व्याख्या करना हम इसलिये आवश्यक समझते है क्योकि इस मुद्दे पर हमारे देश के न्यायालयों के समक्ष बडी संख्या में मामले आने वाले है और इसलिये एक अधिकारिक निर्णय की आवश्यकता है।

21. हमारी राय में संसद ने उपरोक्त अधिनियम द्वारा विवाह के रिश्ते और विवाह की प्रकृति के रिश्ते के बीच अंतर किया है और इस बाबत यह प्रावधान किया है कि किसी भी मामले में जो व्यक्ति किसी रिश्ते में प्रवेश करता है वह अधिनियम के लाभ पाने का हकदार है।

22. हमे ऐसा लगता है कि उपरोक्त अधिनियम में संसद ने एक नई सामाजिक घटना पर ध्यान दिया है जो हमारे देश में लिव-इन-रिलेशनशिप के रूप में उभरी है। यह नया रिश्ता हमारे देश में अभी भी दुर्लभ है, और यह कभी कभी हमारे देश के बडे शहरों में पाया जाता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका और यूरोप में यह बहुत आम है। इस न्यायालय द्वारा एस.खुशबू बनाम कन्नियामल एवं अन्य मामले में इस बाबत टिप्पणी की गई है। (2010)5 एस.सी.सी.600(पैरा 31 के अनुसार)

23. जब एक पत्नि को छोड दिया जाता है तो ज्यादातर देशों द्वारा कानून में पति द्वारा उसके भरण-पोषण का प्रावधान किया जाता है जिसे गुजारा भत्ता कहा जाता है। हालांकि, पहले ऐसी महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं था जो किसी पुरूष से शादी किये बिना उसके साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही थी और फिर उसे छोड दिया गया था।

24. संयुक्त राज्य अमेरिका में ''पैलिमनी'' शब्द गढा गया है जिसका अर्थ है उस महिला को गुजारा भत्ता देना जो किसी पुरूष के साथ बिना शादी किये काफी समय तक रही हो और फिर उस पुरूष द्वारा उस महिला को छोड दिया गया हा। इस बाबत पहला प्रसिद्व निर्णय केलीफोर्निया की सुपीरियर कोर्ट का मार्विन बनाम मार्विन(1976)18 सी3 डी660 था। यह मामला प्रसिद्व फिल्म अभिनेता ली

मार्विन से जुडा है जिनके साथ एक महिला मिशेल वर्षों तक बिना विवाह किये रही और फिर उसे छोड देने पर उसने गुजारा भत्ता का दावा किया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय के कई निर्णयों में पैलिमनी की अवधारणा पर विचार कर विकसित किया गया।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, गुजारा भत्ता का कानूनी अधिकार है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न राज्यों में इस बाबत न्यायालयों के कई निर्णय है। इस बाबत संयुक्त राज्य अमेरिका में इन न्यायालयों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किये है, कुछ ने पेलीमनी प्रदान किया है और कुछ ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है तथा कुछ न्यायालयों ने पेलीमनी कुछ शर्तों पर प्रदान की है। इसलिये संयुक्त राज्य अमेरिका में पेलीमनी के अधिकार पर कानून अभी क्रमागत उन्नति की स्थिति में है।

25. यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में गुजारा भत्ता देनेका कोई वैधानिक आधार नहीं है, लेकिन वहां की न्यायालयों ने इसे अनुबंध के आधार पर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ न्यायालयों ने माना है कि पुरूष और महिला के मध्य एक लिखित या मौखिक समझौता होना चाहिये कि यदि वे अलग हो जाते है तो पुरूष महिला को भरण-पोषण भत्ता देगा, जबकि अन्य न्यायालयों ने माना है कि यदि कोई पुरूष और महिला काफी समय से एक साथ रह रहे है तो लंबे समय तक बिना शादी

किये रहने को एक निहित या रचनात्मक अनुबंध माना जावेगा जिसके तहत उनके अलग होने पर भरण-पोषण भत्ता दिया जावेगा।

26. टेलर बनाम फील्डस् के प्रकरण (1986) कलकत्ता, आर पी आर 186 के तथ्य यह थे कि वादी टेलर का एक विवाहित पुरूष लियो के साथ संबंध था। लियो की मृत्यु के बाद टेलर ने उसकी विधवा पर टेलर की आर्थिक रूप से देखभाल करने के लिये एक निहित समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया और उसने लियो की संपति से भरणपोषण राशि दिलाने का दावा किया। इस प्रकरण में केलीफोर्निया में अपील न्यायालय ने माना कि टेलर द्वारा कथित संबंध एक विवाहित व्यक्ति और उसकी मालकिन के मध्य के रिश्ते से अधिक कुछ नहीं था। यह माना गया कि कथित अनुबंध विवेकपूर्ण विचार पर आधारित था और इसलिये अमान्य और अप्रवर्तनीय था। अपीलीय अदालत ने यह निर्धारित किया कि टेलर, लियों के साथ नहीं रहता था बल्कि कभी कभार ही उसके साथ सप्ताहांत बिताता था। दोनों के बीच स्थिर और महत्वपूर्ण सहवास का कोई संकेत नहीं था।

27. हालांकि डेवनी बनाम एल' एस्पेरेंस 195 एन जे 247(2008) में न्यू जर्सी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भरण-पोषण का दावा करने के लिये सहवास आवश्यक नहीं है, बल्कि ''यह वैवाहिक जीवन के साथ मिलकर,

व्यक्त या निहित समर्थन देने का वादा है।'' जो पेलीमनी के किसी वैध प्रकरण का समर्थन करने के लिये अपरिहार्य तत्व है।

भरण-पोषण भत्ते का दावा-न्यू जर्सी के राज्य विधानमंडल द्वारा वर्ष 2010 में एक कानून पारित किया गया है कि भरण-पोषण भत्ते का दावा करने के लिये पक्षकारान के बीच एक लिखित समझौता होना चाहिये।

28. इस प्रकार भरण-पोषण भत्ते के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों के विचार व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न है। जॉर्जिया और टेनेसी जैसे कुछ राज्य स्पष्ट रूप से पेलीमनी समझौतों को मान्यता देने से इंकार करते है।

29. गुजारा भत्ता बाबत लिखित अनुबंध बहुत ही दुर्लभ है लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ न्यायालयों ने निहित अनुबंधों को तब पाया जब एक महिला ने अपनी आजीविका छोडकर घर का प्रबंधन किया और लम्बे समय तक किसी पुरूष को उसके व्यवसाय में सहायता की। यहां तक कि जब कोई स्पष्ट लिखित या मौखिक अनुबंध नहीं होता है तब भी कुछ अमेरिकी न्यायालयों ने यह माना है कि पक्षकारान की कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि भरण-पोषण भत्ता देने के लिये एक रचनात्मक या निहित अनुबंध मौजूद था।

30. हालॉकि, विशेष रूप से यौन सेवाओं के लिये बनाये गये एक विवेकपूर्ण अनुबंध को सभी अमेरिकी न्यायालयों में अमान्य और अप्रवर्तनीय माना जाता है।

31. हमारे समक्ष मौजूद मामले में हमे यह तय करने के लिये नहीं प्रस्तुत किया गया है कि क्या हमारे देश में किसी व्यक्त या निहित, लिखित या मौखिक अनुबंध के आधार पर भरण-पोषण भत्ता के लिये वैध दावा किया जा सकता है, क्योकि ऐसा कोई मामला प्रतिवादी द्वारा अपनी धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता की याचिका के तहत स्थापित नहीं किया गया था।

32. विश्व के कुछ देश सामान्य कानून विवाह को मान्यता देते है। एक सामान्य कानूनी विवाह, जिसको कभी कभी वास्तविक विवाह या अनौपचारिक विवाह भी कहा जाता है, को कुछ देशों में विवाह के रूप में मान्यता दी जाती है, हांलाकि कोई कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाह समारोह नहीं किया जाता है या नागरिक विवाह अनुबंध नहीं किया जाता है या विवाह को नागरिक रजिस्ट्री से पंजीकृत नहीं किया जाता है। (विस्तृत रूप से गुगल पर देखे)

33. हमारी राय में ''विवाह की प्रकृति वाला रिश्ता'' सामान्य कानूनी विवाह के समान है। सामान्य कानून विवाहों के लिये आवश्यक है कि यद्यपि औपचारिक रूप से विवाह न किया जावेः-

(ए)जोडे को स्वयं को जीवनसाथी के समान समाज के समक्ष रखना चाहिये।

(बी)उनकी विवाह करने की कानूनी उम्र होनी चाहिये।

(सी)उन्हे अविवाहित होने सहित कानूनी तौर पर विवाह करने के लिये अन्यथा योग्य होना चाहिये।

(डी)उन्हे स्वेच्छा से एक साथ रहना होगा और एक महत्वपूर्ण अवधि के लिये स्वयं को जीवनसाथी के समान दुनिया के सामने रखना होगा।

(गुगल पर विकिपीडिया में ''कॉमन लॉ मेरिज'' देखे)

हमारी राय में अधिनियम 2005 के तहत ''विवाह की प्रकृति वाले संबंध''को उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये और इसके अलावा पक्षकारों को अधिनियम की धारा 2(एस) में परिभाषित 'साझा घर' में एक साथ रहना चाहिये। उनके द्वारा केवल एक साथ सप्ताहांत बिताना या एक रात साथ रहना इसे 'घरेलु रिश्ता' नहीं बना देगा।

34. हमारी राय में 2005 के अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के लिये सभी लिव-इन-रिलेशनशिप को विवाह की प्रकृति का रिश्ता नहीं माना जाएगा। ऐसा लाभ प्राप्त करने के लिये हमारे द्वारा ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिये और इसे साक्ष्य द्वारा साबित भी करना होगा। यदि किसी पुरूष के पास कोई 'रखरखाव' जिसे वह आर्थिक रूप से बनाये रखता

है और मुख्य रूप से यौने उदेश्यों और/ या नौकर के रूप में उपयोग करता है, तो हमारी राय में ऐसा रिश्ता विवाह की प्रकृति का रिश्ता नहीं होगा।

35. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जो दृष्टिकोण अपना रहे है ,वह 2005 के अधिनियम के लाभ से लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाली कई महिलाओं को बाहर कर देगा, लेकिन कोई कानून बनाना या कानून में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना इस न्यायालय का काम नहीं है। संसद ने श्विवाह की प्रकृति के संबंध' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है न कि लिव-इन-रिलेशनशिप का। न्यायालय व्याख्या की आड में कानून की भाषा नहीं बदल सकता है।

36. सामंती समाज में विवाहोत्तर पुरूष और स्त्री के बीच संबंध पूरी तरह से वर्जित था और इसे घृणित और डरावनी नजर से देखा जाता था, जैसा कि लियो टॉल्स्टोय के उपन्यास 'अन्ना करेनिना' और 'गुस्ताव फ्लेबर्ट' के उपन्यास मैडव बोवेरी तथा महान बंाग्ला लेखक शरतचन्द्र चटोपाध्याय के उपन्यास में दर्शाया गया है।

37. हालांकि, भारतीय समाज बदल रहा है, और इस बदलाव को संसद द्वारा घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 बनाकर प्रतिबिंबित किया गया और मान्यता दी गई है।

38. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय और विद्वान पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश ने लक्ष्मी को नोटिस जारी किये बिना यह मानने में कानूनी भूल की क अपीलकर्ता की शादी लक्ष्मी से नहीं हुई थी। इसलिये इस निष्कर्ष को खारिज किया जाना चाहिए और मामले को पुनः पारिवारिक न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये, पारिवारिक न्यायालय लक्ष्मी को नोटिस जारी करे और उसे सुनने के बाद कानून के अनुसार नया निष्कर्ष दे सकता है। यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता का प्रतिवादी से विवाह हुआ था या नही, निश्चित रूप से पारिवारिक न्यायालय के द्वारा दिये गये नये निष्कर्ष के बाद ही निर्णीत किया जा सकता है।

39. विद्वान पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के फैसले में इस प्रश्न पर भी कोई निष्कर्ष नहीं है कि क्या अपीलकर्ता और प्रतिवादी एक ऐसे रिश्ते में काफी लम्बे समय तक एक साथ रहे थे जो कि विवाह की प्रकृति का रिश्ता था। हमारी राय में इस/हस्तगत मामले का निर्णय लेने के लिये ऐसे निष्कर्ष आवश्यक थे। इसलिये हम उच्च न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय, कोयंबटूर के आक्षेपित निर्णय को रद्द करते है और मामले को कानून के अनुसार और उपरोक्त वर्णित टिप्पणीयों की रोशनी में नये सिरे से निर्णय लेने के लिये पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के

पास भेजते है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शिव कुमार शर्मा (आर जे एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा